पंजी. क्र. S/25125/1993

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ
Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh
केन्द्रीय कार्यालय : शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली नं. 9, मौजपुर, दिल्ली–110053
दूरभाष : 011–22914799, 09868711893, 09414040403
E-mail : abrsmdelhi@gmail.com, abrsmdelhi@rediffmail.com, Website: www.abrsm.in
ABRSM

पत्रांक: दिनांक:

यू0जी0सी0 – मानव संसाधन विकास केन्द्रः दशा एवं दिशा

आज सभी इसे स्वीकार करते हैं कि राष्ट्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूपान्तरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एक मात्र कोई आधार है तो वह है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अतः शिक्षा पर समग्र रूप से विचार करने की आवश्यकता है और इसी आवश्यकता को समझते हुए यह महसूस किया गया कि विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय स्तर के शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए विद्यालय स्तर के शिक्षकों की भांति प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित हों। यह एक निर्विवाद सत्य है कि शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की आत्मा है और नवाचारों से ओत–प्रोत शिक्षक पद्धति एवं उसके बेहतर प्रशिक्षण से ही विद्यार्थियों एवं समाज के गुणात्मक स्तर को श्रेष्ठता प्रदान की जा सकती है और शिक्षा को मानव निर्माण का आधार बनाया जा सकता है। इस प्रयोजन से 1988 के पश्चात् भारत के लगभग सभी क्षेत्रों के विश्वविद्यालयों में 66 एकेडमिक स्टाफ महाविद्यालयों की क्रमशः स्थापना की गई।

वर्तमान में कार्यरत 66 यूजीसी–मानव संसाधन विकास केन्द्र (UGC-Human Resource Development Centre) 1 अप्रैल, 2015 से पूर्व यूजीसी अकादमिक स्टाफ कॉलेज (UGC-Academic Staff College) के नाम से जाने जाते थे। ये सभी केन्द्र भारत के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के नवनियुक्त एवं वरिष्ठ शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण के लिए अनेक सामान्य एवं विषय–केन्द्रित प्रशिक्षण कार्यकम आयोजित कर रहे हैं।

संप्रति, यूजीसी–मानव संसाधन विकास केन्द्रों द्वारा शिक्षकों के लिए यूजीसी के दिशानिर्देश एवं मानदण्डों के अनुरूप तीन प्रकार के प्रशिक्षण कार्यकमों का आयोजन किया जा रहा है : (1) नवनियुक्त शिक्षकों के लिए चार सप्ताह का ''ओरिऐंटेशन प्रोग्राम'' (अभिविन्यास कार्यक्रम); (2) वरिष्ठ शिक्षकों के लिए तीन सप्ताह का विषय केन्द्रित या अंतरअनुशासनीय ''रिफ्रेशर कोर्स'' (पुनश्चर्या पाठ्यक्रम); एवं (3) विभिन्न अनुशासनों के सभी शिक्षकों के लिए समान अभिरूचि के विषय पर केन्द्रित एक सप्ताह का ''शार्ट टर्म कोर्स'' (लघु अवधि पाठ्यक्रम)। इन पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त मानव संसाधन विकास केन्द्रों द्वारा समय–समय पर शिक्षकों के लिए ''आवश्यकता आधारित'' (Need-based) पाठ्यक्रमों, विशेष व्याख्यानों, संगोष्ठियों आदि का आयोजन भी किया जाता है।

यूजीसी ने अपनी दिशानिर्देश पुस्तिका में उपर्युक्त पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत पढाये जाने वाले विषयों को भी स्थूल रूप से रेखांकित कर रखा है। नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आयोजित किए जाने वाले ओरिएन्टेशन कार्यक्रम में सभी विषयों के शिक्षक भाग लेते हैं। उन्हें चार सप्ताह तक प्रतिदिवस 6 घंटे (1.30 घंटे के चार सत्र) चलने वाले सत्रों के अन्तर्गत शिक्षण प्रविधि, व्यावहारिक शिक्षण कार्यशाला, शोध प्रविधि, संवाद कौशल एवं सूचना तकनीकी, पर्यावरण विषयक चिन्ताएं, सामानय विधिकीय चेता, अंतरअनुशासनीय दृष्टि, उच्च शिक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषय – अकादमिक नैतिकता, स्त्री जागृति, दलित शिक्षा आदि पर विषय विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान एवं विमर्श आयोजित किए जाते हैं। विषय–केन्द्रित 'रिफ्रेशर कोर्स' में विषय विशेषज्ञों एवं संवाद सत्र इस प्रयोजन से रखे जाते हैं कि प्रतिभागियों को अपने विषय के बारे में नवीनतम एवं अधुनातन जानकारी मिल सके। शार्ट–टर्म कोर्स का आयोजन सभी विषय के

पंजी. क्र. S/25125/1993

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

केन्द्रीय कार्यालय : शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली नं. 9, मौजपुर, दिल्ली-110053

दूरभाष : 011-22914799, 09868711893, 09414040403

E-mail : abrsmdelhi@gmail.com, abrsmdelhi@rediffmail.com,Website: www.abrsm.in

ABRSM

पत्रांक: दिनांक:

शिक्षकों के लिए किसी समान अभिरूचि के सामयिक विषय – जैसे सूचना का अधिकार, भाषा प्रशिक्षण एवं संवाद कौशल, ई–प्रशिक्षण आदि पर किया जाता है।

उच्चशिक्षा में कार्यरत शिक्षकों के लिए स्थापित प्रशिक्षण व्यवस्था अनेक विरोधाभासों एवं चुनौतियों से गृस्त है। न तो यह व्यवस्था विद्यार्थी एवं समाज के गुणात्मक स्तर में वृद्धि करने में सफल रही है और न ही ऐसे शिक्षको का निर्माण कर पाई है जो विद्यार्थी का ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं कौशलगत विकास कर सके। अतः शिक्षकों की इस प्रशिक्षण व्यवस्था पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है और यूजीसी–मानव संसाधन विकास केन्द्रों को वैचारिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक दृष्टि से अधिक सशक्त एवं समृद्ध किये जाने की एवं इन्हें उत्कृष्ट संकाय विकास केन्द्रों के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में कतिपय सुझाव निम्नलिखित है –

स्वरूप एवं संरचना (Form and Structure)

वर्तमान में चल रहे यूजीसी– मानव संसाधन विकास केन्द्रों का स्वरूप एवं संरचना पूर्णतया एडहाक व्यवस्था के अन्तर्गत कार्य कर रही है। न तो उनका कोई पूर्णकालिक स्थायी निदेशक है और न ही कोई कर्मचारी। उधार ली हुई अतिरिक्त कार्यभार के आधार पर इन केन्द्रों को चलाया जा रहा है। अस्थायी व्यवस्थाओं के चलते इन केन्द्रों से प्रभावी परिणामों की अपेक्षा करना और उन्हें जवाबदेय ठहराना सम्भव नहीं है। अतः इस व्यवस्था को ऐसा स्वरूप देना आवश्यक है जो स्थायी हो एवं जवाबदेय हो। एक विकल्प हो सकता है कि प्रत्येक केन्द्र को स्थायी निदेशक, उपनिदेशक एवं अन्य कर्मचारी स्वीकृत किये जायें एवं उन्हें स्वतन्त्र रूप से कार्य करने दिया जाये। दूसरा विकल्प हो सकता है कि इस केन्द्र को विश्वविद्यालय का एक स्वतन्त्र केन्द्र बनाया जाय। और उसमें निदेशक से लेकर सभी शिक्षक एवं कर्मचारी स्थायी एवं नियमित हों और वह विश्वविद्यालय के नियन्त्रण में कार्य करे।

वित्तीयन (Financing)

इन केन्द्रों की सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्था केन्द्र के द्वारा की जानी होगी तब ही ये केन्द्र उत्कृष्ट केन्द्र बन सकेंगे। यह व्यवस्था वर्तमान में चल रही राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान (**RUSA**) के तहत की जा सकती है।

आधारभूत संरचना (Basic Infrastructure)

बहुत से यूजीसी–मानव संसाधन विकास केन्द्रों के पास न तो स्वतन्त्र भवन है और न ही बाहर से आने वाले प्रतिभागियों को ठहराने के लिए उपयुक्त गेस्ट हाउस। अधिकांश मानव संसाधन विकास केन्द्रों की कम्प्यूटर लैब पुरानी है तथा पुस्तकालय के लिए आवश्यक सुविधाओं का नितान्त अभाव है। मानव संसाधनों की दृष्टि से ये केन्द्र पूर्णतया अस्थाई व्यवस्था पर कार्य कर रहे हैं। इन अभावों के चलते इन केन्द्रों से प्रभावी एवं परिणामपरक प्रशिक्षण व्यवस्था की अपेक्षा रखना कठिन है। अतः इन केन्द्रों को वे सभी भौतिक एवं मानवीय आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी जिससे इन प्रशिक्षण केन्द्रों को प्रभावी बनाया जा सके।

पंजी. क्र. S/25125/1993

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

केन्द्रीय कार्यालय : शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली नं. 9, मौजपुर, दिल्ली-110053

दूरभाष : 011-22914799, 09868711893, 09414040403

E-mail : abrsmdelhi@gmail.com, abrsmdelhi@rediffmail.com,Website: www.abrsm.in

पत्रांक: दिनांक:

स्वायत्ता (Autonomy)

उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल करने के ध्येय से यूजीसी–मानव संसाधन विकास केन्द्रों की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक स्वायत्ता सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। श्रेष्ठता का उच्च मानदण्ड स्थापित करने, शिक्षक तैयार करने, नवाचार युक्त शिक्षण पद्धति विकसित करने और शिक्षा को शिक्षार्थी विकास केन्द्रित बनाने के लिए इन प्रशिक्षण केन्द्रों को खुले वातावरण में कार्य करने की आजादी प्रदान करनी होगी। इन केन्द्रों को पाठयक्रम निर्माण, अध्ययन सामग्री, शिक्षण पद्धति अनुसंधान इत्यादि में शैक्षिणिक स्वायत्ता, मानव संसाधन प्रबन्धन में प्रशासनिक स्वायत्ता प्रदान की जानी चाहिए। यद्यपि इस सब के लिए कुछ स्पष्ट एवं सुदृढ़ मानक निर्धारित किये जा सकते हैं। इसे पूर्ण रूपेण नौकरशाही के हस्तक्षेप से मुक्त करना होगा और पेशेवर योग्य शिक्षकों के हाथों में देना होगा। हमें एक जवाबदेह, पारदर्शी एवं जिम्मेदार संचालन व्यवस्था की आवश्यकता है।

विषय सामग्री (Course Contents)

शिक्षकों के प्रशिक्षण की विषय सामग्री का चयन मनोवैज्ञानिक ढंग से किया जाये जो शिक्षक की अन्तर्निहित क्षमताओं का विकास करे, ज्ञान में अभिवृद्धि करे, कुशलताओं का विकास करे तथा शिक्षक सृजनात्मकता को विकसित करे। विषय सामग्री वैचारिक दृष्टि से समृद्ध हो। इसके लिए भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परम्परा एवं मूल्य व्यवस्था को आधार बनाना होगा। शिक्षकों में स्वाध्याय के प्रति रूची बढ़े, प्रभावी सम्प्रेषण क्षमता विकसित हो, भाषा कौशल एवं सूचना तकनीक का प्रभावी उपयोग करने की क्षमता विकसित करने वाली विषय सामग्री को सम्मिलित करने की आवश्यकता है। विषय सामग्री प्रामाणिक, बोधगम्य, शोधपरक एवं नवीनतम हो।

शिक्षण शास्त्र (Pedagogy)

शिक्षकों को ऐसे शिक्षण शास्त्र विकसित करने का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है जो छात्र केन्द्रित हो और उसमें निम्न बातों का समावेश अवश्य हो–

- विद्यार्थी की जीवन दृष्टि के परिवर्तन करने की क्षमता रखने वाली व्यवस्था जिससे उसका सर्वांगीण विकास हो सके। ऐसे प्रशिक्षण से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास बढ़ेगा, ईमानदारी एवं मेहनत से कार्य करने का विश्वास पैदा होगा, निर्भीकता आयेगी और सृजनात्मकता सक्रिय होगी। इससे विद्यार्थी की सामर्थ्य बढ़ेगी।
- ज्ञानात्मक विकास के लिए शिक्षकों को इस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है जिससे वह विद्यार्थी को विभिन्न अवधारणाओं को समझा सके तथा उनका जीवनोपयोगी दृष्टि से विश्लेषण कर सके।
- **सम्प्रेषण कुशलता–** शिक्षकों को सम्प्रेषण श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना होगा। इसके लिए लिखित अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति, शारीरिक भाषा की अभिव्यक्ति के साथ–साथ श्रवण कला में शिक्षकों को सिद्धहस्त बनाने की आवश्यकता है।

पंजी. क्र. S/25125/1993

अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ

Akhil Bhartiya Rashtriya Shaikshik Mahasangh

केन्द्रीय कार्यालय : शैक्षिक महासंघ सदन, 606/13, कृष्णा गली नं. 9, मौजपुर, दिल्ली-110053

दूरभाष : 011-22914799, 09868711893, 09414040403

E-mail : abrsmdelhi@gmail.com, abrsmdelhi@rediffmail.com,Website: www.abrsm.in

ABRSM

पत्रांक: दिनांक:

- **<u>वैचारिक योद्धा</u>** – शिक्षक विचार देने वाला बने और उस विचार का नेतृत्व कर सके, ऐसा ज्ञान प्राप्त करने की प्रेरणा शिक्षक को देनी होगी। उसे केवल विषय के शिक्षक के स्थान पर समाज का शिक्षक बनना होगा।
- **<u>आचरण</u>** – शिक्षक का आचरण धर्म आधारित हो ताकि वह अपनी विशिष्ट योग्यताओं को शिक्षण व्यवहार में जोड़ सके और शिक्षार्थी के साथ अपना भावनात्मक सम्बन्ध बना सके। इससे गुरू–शिष्य परम्परा विकसित होगी और शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीयता का भाव जगेगा।

<u>नवनियुक्त शिक्षकों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण (Compulsory Training for newly appointed teachers)</u>

वर्तमान में महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में नियुक्ति प्राप्त करने वाले शिक्षकों को कार्यग्रहण करने से पहले किसी भी प्रकार के प्रशिक्षण की अनिवार्यता नहीं है। प्रशिक्षण कार्यक्रम की जो व्यवस्था वर्तमान में है, वह पर्याप्त नहीं है। मानव निर्माण की शिक्षा देने वाले इन सभी शिक्षकों को वास्तविक कार्य ग्रहण करने के पहले प्रशिक्षण अनिवार्य करना होगा। ऐसे प्रशिक्षण में निम्न बातों का समावेश करना होगा–

- 3 माह का गहन प्रशिक्षण अनिवार्य हो।
- प्रशिक्षण पूर्ण करने के पश्चात् ही उसे विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में शिक्षण कार्य दिया जाये।
- प्रशिक्षण में सम्बन्धित विषय की अध्यतन जानकारी प्रदान की जावे।
- विषय के अलावा शिक्षण शास्त्र प्रशिक्षण, भाषा–कौशल प्रशिक्षण, सम्प्रेषण कौशल प्रशिक्षण, तकनीक का प्रशिक्षण, व्यवहार कौशल प्रशिक्षण तथा राष्ट्र भाव जगाने आदि का प्रशिक्षण देना होगा।
- प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षणार्थी को सेवा में माना जाये।

<u>वरिष्ठ शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण (Training for the Senior Teachers)</u>

वरिष्ठ शिक्षकों को जो तीन सप्ताह का विषय केन्द्रित या अन्तर अनुशासनीय रिफ्रेशर कोर्स ओर शॉर्ट टर्म कोर्स चलाये जा रहे हैं उन्हें अधिक परिणामपरक एवं व्यावहारिक बनाने की आवश्यकता है ताकि शिक्षक नवीनतम ज्ञान से युक्त हो सके। इसके अलावा शिक्षकों की आवश्यकता आधारित कार्यक्रम भी सम्पन्न करने होंगे। जहाँ तक सम्भव हो ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम अवकाश के दिनों में संचालित किये जायें ताकि विद्यालयों की पढ़ाई का नुकसान न हो।

जगदीश प्रसाद सिंघल

महामंत्री

मो. 9414068780